कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांकः स्था0/2025/3319 दिनांकः 23.09.2025

–: आदेश :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2025/936 दिनांक 18.01.2025, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)113/2024/906 दिनांक 19.09.2025 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से **छः माह/दो वर्ष** की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या **एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/– रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक** पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

आशुलिपिक ग्रेड–III (हिन्दी)

S. No.	Roll No.	Name of Candidate (Sarv Shri/Smt./Ms.)	Date of Birth	Gender	Original Category	Alloted Category	Merit No.
1.	64703	SAURABH	06-06-2006	MALE	EWS	GEN	47

1. सभी नियुक्तियाँ आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय की संयुक्त परीक्षा 2025 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पायी गयी तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।

DISTRICT & SESSIONS JUDGE
JAIPUR METROPOLITAN-II

10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त नवनियुक्त आशुलिपिक ग्रेड–III, श्री सौरभ पुत्र श्री नरेन्द्र शर्मा का पदस्थापन न्यायालय–अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–17, जयपुर महानगर–द्वितीय (मुख्यालय चौमूँ) में आशुलिपिक ग्रेड–III के रिक्त पद पर किया जाता है।

23.9.25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांकः स्था0/2025/3320 दिनांकः 23.09.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को उनके पत्रांक G/I/A-4(i)(a)113/2024/906 दिनांक 19.09.2025 के क्रम में
2. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय
3. न्यायालय–अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–17, जयपुर महानगर–द्वितीय (मुख्यालय चौमूँ) को निर्देशित किया जाता है कि श्री सौरभ पुत्र श्री नरेन्द्र शर्मा नवनियुक्त आशुलिपिक ग्रेड–III को कार्यभार ग्रहण करवाते समय नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी उनका स्वयं का मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं साक्ष्यांकन पत्र प्राप्त कर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करवाये तथा मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, साक्ष्यांकन प्रमाण पत्र सहित सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करें एवं नियमानुसार सेवापुस्तिका तैयार करवायें।
4. श्री सौरभ पुत्र श्री नरेन्द्र शर्मा, निवासी ग्राम नगला चिम्मन पोस्ट कनावर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राजस्थान) पिन कोड–321401 को पंजीकृत डाक से प्रति भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार नियत अवधि में अपना कार्यभार संबंधित न्यायालय–अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–17, जयपुर महानगर–द्वितीय (मुख्यालय चौमूँ) में ग्रहण करें।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

23.9.25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय